न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 4 / 2018 (उदयपुर डिक्री)

श्री मन्दिर मूर्ति खाखलदेव जी स्थान ग्राम ढीकली शाश्वत नाबालिग होकर जरिये पुजारीगण श्री दौला पिता स्वर्गीय भूरा जी गायरी एवं श्रीमती चेनी बाई पुत्री स्वर्गीय कन्ना जी गायरी, निवासी ढीकली, तहसील गिर्वा, हाल तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. भूरीलाल पिता स्वर्गीय मांगीलाल जी खाती, निवासी ग्राम ढीकली, तहसील गिर्वा, हाल तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. गणपत पिता स्वर्गीय मांगीलाल जी खाती, निवासी ग्राम ढीकली, तहसील गिर्वा, हाल तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. मेघराज पिता स्वर्गीय मांगीलाल जी खाती, निवासी ग्राम ढीकली, तहसील गिर्वा, हाल तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती डायली बाई पत्नी स्वर्गीय मांगीलाल जी खाती, निवासी ग्राम ढीकली, तहसील गिर्वा, हाल तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
गिर्वा दि॰ 19.12.2017 प्र.सं. 3 / 2017

———/———

उपस्थित :– 1– श्री अजयसिंह हाडा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री झालमसिंह मोजावत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय **दिनांक 17–05–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी / अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर निवेदन

किया कि वादी शाश्वत नाबालिग होकर मन्दिर मूर्ति खाखलदेव जी होकर गायरी समाज का सदियों पुराना मन्दिर है, जिसमें गायरी समाज के अराध्य देव खाखलदेव जी की आराधना होती है। मंदिर की देखरेख सार संभाल देवरे के निर्माण तथा वार्षिक खर्च हेतु एक खेतनामी डाली ग्राम ढीकली में स्थित आराजी नंबर 4114 रकबा 0.1700 हैक्टर है, जो डोली के नाम से जानी जाती है, जिसके साबिक आराजी नंबर 1734 रकबा 16 बिस्वा थे। उक्त भूमि वादी के स्वत्व हित एवं आधिपत्य की भूमि होकर वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। वादी के पुजारी भगा वल्द अमरा गायरी थे, जिनके दो पुत्र कन्ना व भूरा ने अथक परिश्रम से भूमि को उपजाऊ बनाया तथा लाखों रूपये लगाकर आबाद किया। वर्तमान पुजारीगण दौला भूरा का पुत्र है तथा श्रीमती चुन्नीबाई कन्ना की पुत्री है। वादी पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने एवं बेदखल करने एवं स्वयं के खाते करा लेने का कथन किया, जिस पर वादी द्वारा जानकारी की तो जाहिर आया कि प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर उक्त कृषि भूमि का नुमाईशी इन्द्राज विधि विरूद्ध ढंग से अपने नाम दर्ज करवा लिया, जिसका कोई अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं है। अतएवं वादी का वादग्रस्त आराजी नंबर 1414 रकबा 0.1700 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे तथा अन्य विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी ने शाश्वत नाबालिग मंदिर मूर्ति खाखलेदव जी का जो गायरी समाज का सदियों पुराना मंदिर का वर्णन अपने वाद में किया है उस मंदिर का किसी समाज विशेष से कोई लेना देना नहीं है, उक्त मंदिर में सभी समाज के लोग सेवा पूजा समय–समय पर करते चले आ रहे हैं तथा प्रतिवादीगण का परिवार ही पिछले 70–80 वर्षो से उक्त मंदिर की देखरेख करता चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादीगण को रहन, बेह, बक्षीस करने का पूर्ण अधिकार है। अतएवं वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 5 तनकियात कायम की :–

1. आया वादी वादग्रस्त भूमि का पूर्व खातेदार होकर घोषणा कराये जाने का अधिकारी है ? ..... वादी

2. आया वादी वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? ..... वादी

3. प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर पिछले 70–80 वर्षो से काबिज होकर वादग्रस्त भूमि के खातेदार हो गये हैं ? ..... प्रतिवादीगण

4. प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि खुर्द–बुर्द करने, रहन, बक्षीस करने का पूर्ण अधिकार है ? ..... प्रतिवादीगण

5. अनुतोष ?

उभयपक्षों द्वारा पेश शुदा साक्ष्य सबूत के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने प्रकरण संख्या 93/2013 में निर्णय दिनांक 12–08–2013 से वादी का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे विरूद्ध इस न्यायालय में अपील संख्या 96/2013 प्रस्तुत की गयी, जिस पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02–11–2016 को निर्णय पारित करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 के संबंध में तथा काश्तकारी अधिनियम में नाबालिग मंदिर के नाम दर्ज खातेदारी भूमि के हित संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों को पुनः सुनकर तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया।

इस न्यायालय के प्रतिप्रेक्षण आदेश के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 3/2017 के रूप में दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा पेश शुदा साक्ष्यों एवं अन्य दस्तावेजों को रेकार्ड पर लेने के बाद तथा उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 10–12–2017 से तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद साबित नहीं होना खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–01–2018 को पेश की गयी।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री झालमसिंह मोजावत ने उपस्थिति दी। वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी है, जो पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्व बताते हुए अपास्त कर अपीलान्ट/वादी का वाद डिक्री किये जाने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा अपने जवाबदावे एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के विपरीत जाकर जो कथन किये गये हैं, उनको तवज्जो देते हुए विधि की घोर प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने यह समझने में भारी भूल की है कि अपीलान्ट/वादी शाश्वत नाबालिग होकर एक मात्र खातेदार है, जिसके विपरीत रेस्पोन्डेन्ट मात्र नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर भूमि हथियाना चाहते हैं। वादग्रस्त भूमि रेस्पोन्डेन्ट के खातेदारी अधिकार की कभी नहीं रही, न ही उनका कोई स्वत्व व अधिकार है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादी मंदिर मूर्ति होकर मंदिर की भूमि धारा 16 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत संरक्षित भूमि की श्रेणी में होकर ऐसी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते की उपेक्षा कर भारी भूल की है एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर खड़मदार काश्तकार का हवाला देते हुए रेस्पोन्डेन्टगण को काश्तकार मानकर निर्णय देने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने 4 विवाद्यक विरचित किये जिस पर अपीलान्ट/वादी द्वारा साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर अपना पक्ष रखा, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई विवेचन नहीं किया एवं उच्चतर न्यायालय के निर्णयों की भी अवहेलना की है। प्रदर्श 1 एवं प्रदर्श 2 की भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अवहेलना की गयी है। वादी/अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा मौखिक साक्ष्यों का भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 का निर्णय विधि विरूद्ध किया है तथा तनकी नंबर 2 के संबंध में भी उपलब्ध साक्ष्यों का ठीक ढंग से विश्लेषण नहीं किया है। तनकी नंबर 3 व 4 का निर्णय भी त्रुटि पूर्ण ढंग से किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो दस्तावेज पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध थे, उनके विरूद्ध निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त भूमियों में धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

तहत प्रतिवादीगण का कोई अधिकार नहीं होने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि पूर्ण निर्णय पारित किया गया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो स्थिति इस प्रकार प्रकट आयी कि वादी स्वयं भूमि मंदिर की होना एवं स्वयं को पुजारी होना बताकर अधिनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पहले निर्णय में वाद खारिज किये जाने के बाद इस न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेक्षण आदेशों के क्रम में पुनः विवेचन किया जाना था। अधिनस्थ न्यायालय ने इस न्यायालय के प्रतिप्रेक्षण आदेशों के क्रम में पुनः तनकीवार जो निर्णय पारित किया है, उक्त निर्णय के अवलोकन के बाद हम यह पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कतिपय तनकियों में प्लीडिंग्स से परे जाकर निर्णय किया है तथा इस न्यायालय के प्रतिप्रेक्षण आदेशों तथा उपलब्ध साक्ष्यों का भी विवेचन नहीं किया है। न्यायहित में हम प्रकरण में तनकीवार विवेचन करना उचित समझते हैं।

तनकी संख्या 1 :– आया वादी वादग्रस्त भूमि का पूर्व खातेदार होकर घोषणा कराये जाने का अधिकारी है ? ..... वादी

उक्त तनकी जो वादी के भार सिद्ध थी एवं वादी द्वारा जो साक्ष्य इस तनकी बाबत् प्रस्तुत की गयी है, उनका अवलोकन किया जाना वांछनीय है। वादी द्वारा इस तनकी के संबंध में संवत् 1989 की जमाबन्दी प्रदर्श 1 पेश की है, जिसमें खातेदार के कोलम में श्री खाखलदेव जी स्थान देह लिखा हुआ है तथा शिकमी में भग्गा वल्द अमरा गाडरी लिखा हुआ है। इसी प्रकार प्रदर्श 2 जो कि महकमा बन्दोबस्त उदयपुर मेवाड़ में आराजी नंबर 1734 खातेदार के कोलम में श्री खाखलदेव जी स्थान देह तथा शिकमी के रूप में भग्गा वल्द अमरा अंकित है तथा कैफियत में पूजनार्थ अंकित है। इन दोनों दस्तावेजों के बरूऐ ही इस न्यायालय द्वारा पूर्व में अपील संख्या 96/2013 में निर्णय पारित करते हुए इस दोनों प्रदर्शो का विवेचन करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी पर प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 का विवेचन करने के स्थान पर खड़मदार इत्यादि का विवेचन किया है जो कि इस प्रकरण में प्लीडिग नहीं है। वहीं हमारे द्वारा यह पाया गया कि संवत् 1989

में जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त राज्य उदयपुर मेवाड़ में आराजी नंबर 1734 रकबा 16 बिस्वा भूमि, उक्त जमाबन्दी जो की राईट ऑफ रेकार्ड होती है, उसमें कैफियत में कोलम संख्या 10 (जो पूर्व में निर्णय करते समय हमारे द्वारा देखा नहीं जा सका) में अंकित किया है कि उक्त भूमि को बापी के स्थान पर कन्ना, भूरी पिता नारायण गाडरी के नाम बापी किया गया अर्थात मेवाड़ राज्य में मंदिर को माफी पूजनार्थ दी गयी भूमि, जिस पर कोई शिकमी काश्त करता था, उक्त भूमि को मंदिर स्थान देह के स्थान पर किसी खातेदार के नाम बापी कर दी गयी है, जो औचित्यपूर्ण भी प्रतीत होता है कि प्रभुता सम्पन्न राज्य द्वारा मंदिर की व्यवस्थार्थ शिकमी काश्तकार को लगान मंदिर स्थान के लिए आदेशित किया गया था, परन्तु मंदिर की अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद प्रभुता सम्पन्न राज्य द्वारा उक्त भूमि को जिसका की लगान लेने का अधिकार मंदिर को था, उक्त भूमि को मंदिर के स्थान पर निजी व्यक्तियों को बापी कर दी गयी है। अर्थात संवत् 1989 जिससे भूमि वादी/अपीलान्ट अपनी खातेदारी एवं देवस्थान की होना बताता है, उक्त दस्तावेज स्वयं में ही लगे कैफियल के अनुसार उक्त भूमि मंदिर की नहीं होकर निजी खातेदारों को बापी की जा चुकी है। प्रदर्श 2 में भी यह स्पष्ट अंकित है कि यह भूमि पूजनार्थ दी गयी है तथा भूमि पर मंदिर खातेदार होने के बावजूद शिकमी अंकित है अर्थात मंदिर को सिर्फ लगाने लेने का अधिकार था, जो जागीरदारी अधिकार से अथवा लगान लेने के अधिकार से ज्यादा नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यह भूमि मंदिर की खुदकाश्त की श्रेणी की नहीं है तथा मंदिर पर काबिज व्यक्ति पृथक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त खातेदारी अथवा लगान लेने का अधिकार/जागीरदारी भूमि प्रदर्श 1 एवं प्रदर्श 2 के अनुसार मंदिर के स्थान पर तत्कालीन प्रभुता सम्पन्न राज्य द्वारा उक्त भूमि को निजी खातेदारी को बापी कर दी गयी है, जिससे उक्त भूमि प्रदर्श 1 एवं प्रदर्श 2 के अनुसार मंदिर की नहीं रही, जिससे तनकी नंबर 1 के निर्णय के संबंध में वादी/अपीलान्ट के प्रमुख आधार प्रदर्श 1 एवं प्रदर्श 2 से उक्त भूमि मंदिर स्थान देह की होना प्रमाणित नहीं है। तद्नुसार यह तनकी वादी/अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2</u> :– आया वादी वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? ..... वादी

प्रकरण में हमारे द्वारा तनकी नंबर 1 में किये गये विवेचन अनुसार न तो मंदिर उक्त भूमि का खातेदार होना स्पष्ट है, न ही बकौल वादी/अपीलान्ट उक्त भूमि पर वह काबिज है तथा वर्तमान खातेदारों का गत करीब 40–50 वर्षो से खातेदार होना स्पष्ट होने से कब्जा वादी/अपीलान्ट का माने जाने का कोई आधार नहीं है तथा वादी/अपीलान्ट का कब्जा व स्वत्व दोनों ही नहीं होने से स्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने का कोई आधार नहीं है। तद्नुसार यह तनकी भी वादी/अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर पिछले 70–80 वर्षो से काबिज होकर वादग्रस्त भूमि के खातेदार हो गये हैं ? ..... प्रतिवादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण पर था। उक्त तनकी के सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा पेश शुदा दस्तावेजात नामान्तरकरण संख्या 11 दिनिांक 10–06–1962, जिससे उक्त भूमि लालू वल्द मगनीराम सुथार, जो कि प्रतिवादीगण के पूर्वज हैं, उनके नाम शिकमी से बापी किये जाने का आदेश है तथा उसमें यह स्पष्ट अंकित है कि धारा 16 की यह भूमि नहीं है, लगान बराबर जमा हो रही है तथा प्रकरण सन् 1955 से पहले का है। लालू वल्द मगरीराम शिकमी होने के बाद वर्ष 1962 में उसे बापी किया जाकर खातेदारी अधिकार दे दिये गये, इसके बाद जमाबन्दी संवत् 2026 से 2029, 2030 से 2033 में प्रतिवादीगण के पूर्वज रेकार्डेड खातेदार है, जिससे यह सुस्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण सन् 1955 से निरन्तर काबिज होकर खातेदार हैं। तद्नुसार यह तनकी प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 :– प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि खुर्द–बुर्द करने, रहन, बक्षीस करने का पूर्ण अधिकार है ? ..... प्रतिवादीगण

यह तनकी भी प्रतिवादीगण के भार सिद्ध थी। तनकी संख्या 3 के विवचेन अनुसार तथा दौराने अपील पेश शुदा खसरा गिरदावरी व जमाबन्दी से यह सुस्पष्ट होता है कि प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण रेकार्डेड खातेदार हैं। अतएवं उसे इस भूमि का खातेदार होने के कारण रहन बेह, बक्षीस करने का पूर्ण अधिकार है। तद्नुसार यह तनकी भी प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वादी द्वारा पेश शुदा वाद का एकल आधार प्रदर्श 1 एवं प्रदर्श 2 है, जो उपरोक्त विवेचन अनुसार भूमि को मंदिर की होना प्रमाणित नहीं कर सके हैं। तद्नुसार वादी/अपीलान्ट का वाद पोषणीय नहीं है।

वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा कथन किया गया कि क्षण मात्र के लिए यह भूमि मंदिर की मान भी ले जावे तो भी मंदिर को सिर्फ लगान लेने का अधिकार था तथा जागीर एक्ट की धारा 1952 आने के बाद जागीरदार की भूमियां सरकार में रिज्यूम होने के बाद मंदिर को अन्यथा भी कोई अधिकार खातेदारी प्राप्त करने का नहीं रहता, क्योंकि मंदिर सिर्फ जागीरदार अधिकतम था तथा उसे लगान लेने का ही अधिकतम अधिकार था।

प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2016 (1) पेज 679 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मंदिर की भूमियों पर पुजारी का कोई हक अधिकार नहीं होता। हम इस न्यायिक नजीर से सहमत हैं, परन्तु इस प्रकरण में भूमियां मंदिर की होना प्रमाणित नहीं है, तद्नुसार यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायालय नजीर आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 764 भी इसी आशय की है, जो इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायालय नजीर आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 1400, जिसमें यह कथन किया गया है कि बिना विधिक आदेश के मंदिर का नाम हटाये जाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकरण में प्रभुता सम्पन्न राज्य द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व ही उक्त भूमि मंदिर की जागीर से हटा ली गयी थी, तद्नुसार मंदिर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व ही यह भूमि मंदिर की नहीं थी। तद्नुसार यह भी नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 1431, आर.आर.टी. 2012 (2) पेज 854, आर.आर.डी. 1984 पेज 451 प्रस्तुत की गयी हैं, जो इस आशय की हैं कि मंदिर की भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा मंदिर की भूमि संरक्षित भूमि है। इस प्रकरण में हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन अनुसार भूमि मंदिर की होना

प्रमाणित ही नहीं है। तद्नुसार उक्त नजीरें भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

उपरोक्त समग्र विवेचन अनुसार हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज किये जाने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं, तद्नुसार अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–12–2017 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17–05–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

श्री मंदिर मूर्ति खाखलदेव जी स्थान ग्राम ढीकली शाश्वत नाबालिग जरिये पुजारीगण श्री दौला पिता स्व.भूरा जी गायरी एवं श्रीमती चेनीबाई पुत्री कन्ना जी गायरी, निवासी ढीकली, तहसील गिर्वा हाल बड़गांव, जिला उदयपुर

बनाम

भूरीलाल पिता स्व. मांगीलाल खाती, निवासी ढीकली, तहसील गिर्वा, हाल बड़गांव, जि. उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**4 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....19**.....माह.....**12**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**17**.....माह.....**05**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री अजयसिंह** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री झालमसिंह मोजावत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–12–2017 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**17**.....माह.....**05**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।